



इन्दौर विकास प्राधिकरण

जहां विकास एक निरंतर प्रक्रिया है

7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर फोन : 2531312, 2434541 फैक्स : 0731-2430553
Email : idaindore7@yahoo.in, Website : www.idaindore.org

योजना की खूबियाँ

● 50 % राशि पर कब्जा, साईट प्लान एवं भवन निर्माण हेतु NOC ● निविदा प्रपत्र एवं शर्तें ₹ 250 नगद जमा कर दिनांक 27.01.2012 से दिनांक 13.02.2012 तक 7, रेसकोर्स रोड, प्राधिकरण भवन स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से प्राप्त किए जा सकते हैं। ● निविदा दिनांक 14.02.2012 को सांयकाल 4.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। ● जो तत्काल पश्चात उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष प्राधिकारी कार्यालय में खोली जावेगी। ● निविदा प्रस्तुत करने के दिनांक को यदि आकस्मिक अवकाश घोषित हो जाता है तो अगले कार्यकारी दिवस में निविदा प्रस्तुत की जा सकेगी। ● भूखण्डों के लिये न्यूनतम 21,500/- प्र.व.मी. न्यूनतम दर रहेगी। ● उपरोक्त निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा फार्म के साथ ₹ 2 लाख की अर्नेस्ट मनी इन्दौर विकास प्राधिकारी के पक्ष में, बैंक ड्राफ्ट अथवा पे-ऑर्डर के रूप में प्रस्तुत करना होगा। ● निविदादाताओं से अपेक्षा है कि प्लॉट के संबंध में निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व प्लॉट का भौतिक निरीक्षण कर लें, निविदा स्वीकृति के पश्चात् प्लॉट संबंधी कोई आपत्ति ग्राह्य नहीं होगी। ● भूखण्ड के प्रीमियम की 25% राशि निविदा स्वीकृत होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि में जमा करना होगी पश्चात् 25% राशि 3 माह में जमा करनी होगी। शेष 50% राशि 3 वर्ष में 10%, 5 वर्ष में 10.25%, 10 वर्ष में 10.50% ब्याज के साथ त्रैमासिक किश्तों में भुगतान करने की सुविधा है। ● निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार प्राधिकारी को रहेगा इसके लिए कोई कारण नहीं दर्शाया जावेगा। ● आरक्षित वर्ग के भूखण्डों हेतु शासन के नियमानुसार सक्षम अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। ● विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार सैनिक/ भूतपूर्व सैनिक, कर्मचारी कोटा वर्ग की निविदा प्राप्त नहीं होती है तो इन वर्गों के आरक्षित भूखण्डों सामान्य वर्ग में परिवर्तित किये जावेंगे। ● विज्ञापित से संबंधित जानकारीयाँ मार्केटिंग सेल, तीसरी मंजिल, कक्ष क्रमांक 305 से व्यक्तिगत रूप से तथा दूरभाष क्रमांक 2434541 (एक्स. 325) से प्राप्त की जा सकती है।

अ.क्र.	भूखण्ड क्रमांक	क्षेत्रफल व.मी. में	आरक्षित वर्ग
01	850	55.75	सामान्य
02	853	55.75	बुद्धिजीवी/ श्रमजीवी पत्रकारों एवं कलाकारों
03	977	55.75	अ.ज.जा.
04	978	55.75	अ.ज.जा.
05	979	55.75	अ.ज.जा.
06	980	55.75	अ.ज.जा.
07	981	55.75	कर्मचारी कोटा
08	983	55.75	पिछड़ा वर्ग
09	992	55.75	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
10	993	55.75	सैनिक/ भूतपूर्व सैनिक

● विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार सैनिक/ भूतपूर्व सैनिक, कर्मचारी कोटा वर्ग की निविदा प्राप्त नहीं होती है तो इन वर्गों के आरक्षित भूखण्डों सामान्य वर्ग में परिवर्तित किये जावेंगे। ● विज्ञापित से संबंधित जानकारीयाँ मार्केटिंग सेल, तीसरी मंजिल, कक्ष क्रमांक 305 से व्यक्तिगत रूप से तथा दूरभाष क्रमांक 2434541 (एक्स. 325) से प्राप्त की जा सकती है।

प्राधिकरण की किसी भी योजना में भूखंड प्राप्त करने के लिए IDA की वेबसाइट www.idaindore.org देख सकते हैं प्राधिकारी में भुगतान हेतु idaindore.org से सम्पर्क करें, जिससे Online राशि जमा कर सकेंगे जो सेवा नि:शुल्क है।

सम्पर्क करें: श्री एन.एन. पांडे, संपदा अधिकारी-9893800327, श्री पी.सी. जैन, संपदा अधिकारी वर्ग-2-9893699105, श्री उमाकान्त ठोम्बरे, सहायक यंत्री, 9893699161,

श्री डी.के. जैन, कार्यपालन यंत्री -9893699141

10 आवासीय भूखंड

योजना क्रमांक 71, सेक्टर-बी में
10 आवासीय भूखंडों हेतु निविदा आमंत्रण

विज्ञप्ति क्रमांक : 15

दिनांक : 17.01.2012


मात्र
50% राशि
देकर आधिपत्य प्राप्त करें

लीज़ दरों
में भारी कमी

सुविधानुसार शेष राशि आसान किश्तों पर

स्थल मानचित्र

न कोई झंझट न कोई विवाद



सम्पदा अधिकारी,
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर